



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-27102023-249759
CG-GJ-E-27102023-249759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]
No. 731]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 25 अक्टूबर, 2023

सं. 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआईएस/2023-24.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्राधिकरण) इसके द्वारा दिनांक 6 दिसंबर, 2022 को जारी और दिनांक 9 दिसंबर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआईएस/2021-22, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (क) पंक्ति दस में, शब्द "बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन डिपॉजिटरी रसीद" को, शब्द "बुलियन अनुबंध" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) अंतिम पंक्ति में "समय-समय पर" शब्दों के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"स्पष्टीकरण: - 'बुलियन अनुबंध' का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के अधीन इसे दिया गया है।"

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./513/2023-24]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 25th October, 2023

No. 329/IFSCA/Bullion MIIs/2023-24.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the International Financial Services Centres Authority (Authority) hereby makes the following amendments in the notification No. 329/IFSCA/Bullion MIIs/2021-22 dated the 6th December, 2022 issued by the Authority, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 9th December, 2022, namely:-

In the said notification, -

- (A) in line ten, for the words “bullion spot delivery contract and bullion depository receipt with underlying bullion”, the words “bullion contracts” shall be substituted.
- (B) after the words “from time to time” in the last line, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation: - ‘bullion contract’ shall have same meaning as assigned to it under International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020.”

This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./513/2023-24]